21/3/16 पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा ... पत्रावली पूर्व ... अनुसार स्थगित किया गया है अत. पत्रावली पूर्व ... दिनांक 20/6/16 को पेश हो।

राजस्व लोक अदालत
अभियान न्याय आपके द्वार 2016
कैम्प....खरैटा....

16/6/16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर में पेश हुई। तहसीलदार हिण्डौन के जरिये प० सं० से अवगत कराया ग्राम [illegible] के पत्र सं० 275 दि० 22/2/16 द्वारा पालना कर नामांतरण का अमल दरामद किया गया है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती दाखिल की जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मु0न0 19/13 रजु दिनांक– 1-5-13

सरकार बनाम 1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांकः– 10-04-15

इस प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार हिण्डौन सिटी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि खसरा न0 452/1 रकवा 0.17 वाके ग्राम [illegible] में राजकीय प्राथमिक विद्यालय [illegible] निर्माण कर लिया गया है जो अनेक वर्षों से उक्त आराजी में संचालित है। इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि को वर्षों से अकृषि कार्य में लिया जा रहा है। अतः उक्त भूमि को सिवाचयक घोषित कर विपक्षी को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश भी किया गया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 [illegible] का प्रार्थना पत्र दिनांक 30-1-13 प्रशासन गांवों के संग शिविर में पेश किया गया तथा नकल नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी खतौनी नकल खसरा गिरदावरी भी पेश की गई। इस पर प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये परन्तु बाबजूद सूचना तथा नियमानुसार नोटिस तामील होने में अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। अतः उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पैरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रस्तुत साक्ष्य का रिकार्ड से यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि वर्तमान में अकृषि कार्य विधालय में काम आ रही है इसका कृषि भूमि का स्वरूप बदलकर अकृषि कर दिया गया है। अतः उपरोक्त विवादित अराजी ख0 न0 452/1 रकवा 0.17 वाके ग्राम [illegible] से अप्रार्थीगण को बेदखल कर सिवाचयक घोषित किया जाता है। उपरोक्त भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा भूमिधारी तहसीलदार हिण्डौन को सौंपा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपजिला कलेक्टर
हिण्डौन

Scanned by CamScanner